

न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु०न०..... 18/2016.....

स्टेट.....

बनाम ..... केसर प्रेमचन्द लाल ..... ०

सा० ..... न्यायासर ..... तह. रावतसर

निर्णय दिनांक ..... 23/9/16.....

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी केसर ने रिपोर्ट की है कि खसरा न० 157 रकबा 0.055 गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज परफसल खरीफ 2015 में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अतिक्रमी है। इस लिये उपनिवेशक अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान 0.5 रूपये केवल पांच रूपये मात्र कायम किया जाता है।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी०आर०ए० को लिखा जावे तथा भू-राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 23/9/16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप पंजीयक

पल्लू